Notice Inviting Tender

GOVERNMENT OF MADHYA PRDESH
URBAN ADMISTRATATION AND DEVOLPMENT DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION GWALIOR

NIT No. – MPGMC/28/26X13/1/PARK **Dated : -13/05/2026**

Contractor have to submit Attested **Scanned copy of GSTIN, Pan No., EPF,ESIC, Registration at the shop act,Horticulture/Nursary licence,MSME, Annexure B & H** Online tender through e-procurement are invited on portal http://www.mptenders.gov.in on behalf of GMC.

Online Percent Rate bids for the following works are invited from registered contractors and Firms of repute fulfilling registration criteria.

NIT Call	Name of Work	Probable Amount of Contract (Rs. in lakh)	Earnest Money Deposit (In Rupees)	Cost of Bid Document	Category of Contractor	Period of Completion	Tender Type
1	2	3	4	5	6	7	8
1st	Maintenance of Horticulture work in Gandhi road Both side Raja Mansingh Chauraha To Balwant Nagar Tiraha Nagar Nigam Gwalior 03 Year (36 months) **file no 28/26*13/1**	44,66,827/-	33,510/-	5,000/-	**PWD Registration**	03 Year	Percent Rate

01 All details relating to the Bid Document(s) can be viewed and downloaded free of cost on the website http://mptenders.gov.in

02 Bid Document can be purchased after marking online payment of portal fees through RTGS/NEFT/Internet Banking.

03 In This NIT Apply The Order No. एफ 237/2024/18-2 दिनांक 09.09.2024 Of Ministry Of Urban Development And Housing M.P. Govt.

04 निविदाओ में प्राप्त न्यूनतम दर 10% से अधिक नीचे (More Then Ten Percent Below) को अव्यवहारिक दर (Unwokrable Rates) मानते हुए.Additional Performance Security लिए जाने का प्रावधान किया गया है।

05 अतिरिक्त परफोरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) के रूप में,प्राप्त निविदा राषि (Contract Amount) एंव एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम की निविदा राशि (Cost Of PAC @ 10 % Below) के अंतर की राशि लिया जाना प्रावधानित है।

06 Performance Security एंव Additional Performance Security के संबंध में निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार संषोधन लिए जाते हैः–

S.N.	Reference	Particulars	Value Applicable For Works
01	ITB Clause 22	Performance Security And Additional Performance Security	ITB Clause 22 (W) Performance Security to be deposited @ 3(Three) % of the contract amount (X) Additional Performance Security to be deposited @ equal to :- (W) If Rates are below 10% and upto 20% value equal to the percentage below 10% of Probable amount of contract(PAC) (X) If Rates are below 20%- as per (a) and twice the value below 20% of probable amount of contract (PAC)
02	ITB Clause 22	Performance Security And Additional Performance Security	valid up to 03 months From the Date of issuance of completion certificate.

	shall be valid up to	

Note – These values to be incorporated in the bid data sheet/contract data sheet.

07 अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी मात्र Fixed deposit Receipt(FDR) के रुप में मान्य होगी।

08 अनुबंध न करने की स्थिति में निविदाकार की अमानत राशि (Bid Security) राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसे निविदाकारो को कम से कम 02 वर्ष के लिये प्रतिबंधित करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय,नगरीय
प्रशासन एंव विकास को प्रेषित किया जायेगा।

09 यदि अनुबंध में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही होने पर संविदाकार द्वारा समयावधि बढ़ाने की मांग की जाती है,तो ठेकेदार की मांग पर बढ़ाई गई समयावधि के लिये मूल निविदा शर्तो की पेनल्टी के अतिरिक्त अव्यवहारिक दरो के मामले में अतिरिक्त पेनल्टी भी ली जायेगी।अतिरिक्त पेनल्टी 01 माह की समयवृद्वि के लिये अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी का 1/12 भाग होगा।

10 निविदाकारो को एन.आई.टी. में दर्शित समस्त प्रमाण पत्र सलंग्न करना अनिवार्य है।

11 निविदाकर्ता को लोक निर्माण विभाग का वैध पंजीयन,पेन कार्ड,जी.एस.टी. पंजीकरण, दुकान संस्थान पंजीकरण, नर्सरी/हॉर्टीकल्चर का पंजीकरण, एनक्सचर एच एंव बी आदि आवश्यक दस्तावेज निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12 निविदाकर्ता को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के अन्तर्गत पंजीकृत वैध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (E.P.F.) एंव कर्मचारी राज्य बीमा निगम (E.S.I.C.) का पंजीकरण निविदा के साथ आवश्यक रूप से देना अनिवार्य होगा। इसके बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

13 निविदाकर्ता के पास किसी भी सरकारी सस्था में बागवानी रखरखाव कार्य का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

14 निविदाकर्ता के लिये 100 रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा जिसमे यह प्रमाणित करना होगा कि वह किसी भी सरकारी/गैर– सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नही है और इस निविदा की सभी वैध शर्तो का पालन भी किया गया है।

15 निविदाकर्ता का बागवानी और खाद्य प्रसस्करण विभाग में निविदा जारी दिनांक से पूर्व में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं पंजीकरण से संबधित दस्तावेज (नर्सरी लाईसेंस) निविदा के साथ आवश्यक रूप से देना अनिवार्य होगा।

16 निविदाकर्ता का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और इससे संबधित MSME प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17 निम्नलिखित कार्यो को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभवः–

(क) तीन समान कार्य, जिनमे से प्रत्येक की लागत संभावित अनुबंध राशि रू.के कम से कम 20% हो,या

(ख) दो समान कार्य,जिनमें से प्रत्येक की लागत संभावित अनुबंध राशि के कम से कम 30% हो,या

(ग) एक समान कार्य,जिसकीं लागत संभावित अनुबंध राशि के कम से कम 50% हो।

उद्यानिकी रखरखाव/संधारण कार्य अवधि 36 माह हेतु सफल निविदाकार कार्य करने के दौरान निम्न आवश्यक शर्तो का पालन करना होगाः–

01 सफल निविदाकार को 03 वर्ष (36 माह) की उद्यानिकी संधारण/रखरखाव अवधि के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यकता अनुसार समय समय पौधो हेतु अच्छी मिट्टी एवं खाद का उपयोग करना होगा।

02 सफल निविदाकार द्वारा उद्यानिकी संधारण संबंधी कार्य एवं प्रश्नाधीन स्थल पर स्थापित जनसुविधायें जैसे खेल उपकरण, ओपन जिम, फाउण्टेन, शौचालय,पाथवे, गजीबो, प्याऊ, योग स्थल संगीत यंत्र इत्यादि जो भी उपलब्ध हो,का रखरखाव एवं सफाई का कार्य नियमित रूप से कराया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।

03 सफल निविदाकार द्वारा रोड़ साईट डिवाईडरो के संचालन एंव संधारण अंतर्गत विकसित लॉन का रखरखाव करना, सिंचाई कार्य, पेड़ पौधो की नियमित कटाई/छटाई, गैप फिलिंग, जैविक एंव

रासायनिक खाद का छिडकाव, वाकिंग ट्रेक आदि की साफ सफाइ, मौसमी फूलो एवं आरनामेंटल पौधो का रोपण,कार्यस्थल से एकत्रित सूखे कचरे का डिस्पोजल करना।

04 सफल निविदाकार कार्य के दौरान प्रश्नाधीन स्थल में लगी किसी भी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति को नुकसान नही पहुचाएगा,नुकसान की स्थिति में वर्तमान बाजार भाव आंकलन अनुसार बतौर हर्जाना राशि निविदाकार के चल देयक अथवा धरोहर राशि से वसूल की जायेगी।

05 सफल निविदाकार को घास, हैज या पेड़ पौधो के मृत होने की स्थिति में उसी प्रजाति एंव उंचाई का पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।

06 प्रश्नाधीन स्थल के उपउत्पाद जैसे लकडी, फूल, बीज, फल इत्यादि पर नगर निगम, ग्वालियर का एकाधिकार होगा।

07 सफल निविदाकार उद्यानिकी संधारण कार्य के दौरान कोई बोर्ड नही लगायेगा और ना ही किसी प्रकार का पक्का निर्माण करेगा एंव सैलानियो से कोई शुल्क वसूल नही करेगा।

08 उद्यानिकी संधारण कार्य के दौरान पार्क में अन्य विकास कार्य कराने हेतु नगर निगम, ग्वालियर स्वतंत्र रहेगा। इस संबंध में निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

09 सफल निविदाकार द्वारा यदि सार्वजनिक सुविधाओ/सेवाओ को कोई नुकसान पहुचाया जाता है,तो उसे तत्काल मरम्मत करवाना होगा, अन्यथा ठेकेदार के बिल से आवश्यक वसूली की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा किसी निर्मित संरचनाओं, भवन,सडक, और चैनल,केबल/विधुत फिटिंग आदि को नुकसान पहुचाया जाता है,तो उसे ठेकेदार को स्वंय की लागत पर मरम्मत करवाना होगा अन्यथा नगर निगम द्वारा क्षति का आंकलन कर उसके मरम्मत में हुई व्यय राशि की प्रतिपूर्ती निविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी जावेगी।

10 सफल निविदाकार को प्रश्नाधीन स्थल की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षागार्डो की नियुक्ति की जानी होगी।

11 सफल निविदाकार को पार्क से कचरे (बागवानी अपशिष्ट) को हटाने और पार्क विभाग द्वारा चिन्हित डम्पिंग क्षेत्र में कचरे का निपटान परिवहन के माध्यम से कराने का उत्तर दायित्व होगा। परिवहन हेतु निविदाकार द्वारा टाटा 407 व उसके समतुल्य वाहन मय चालक एवं हेल्पर के उपलब्ध कराया जायेगा।

12 सफल निविदाकार द्वारा कचरे को जलाया नहीं जायेगा यदि ऐसा करता पाया गया तो नियमानुसार शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

11 सफल निविदाकार को प्रश्नाधीन स्थल के समुचित विकास और रखरखाव के लिए सभी आवश्यक उपकरण जैसे वीडर,लोन मूवर, हेज कैंची, गेती, फावड़ा, खुरपी आदि एवं पौध, अन्य स्टाक आईटम जैसे–बांस,सुतली,टाट का कपडा टोकरी आदि की व्यवस्था करनी होगी। उपकरण और पौधो की मरम्मत की लागत ठेकेदार द्वारा स्वंय वहन की जाएगी और इस मद से कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा।

12 किसी भी दुर्घटना या उपकरण की खराबी या कर्मचारियो की लापरवाही के कारण कार्य स्थल पर किसी भी श्रमिक की आंशिक या स्थाई चोट या मृत्यु के लिए विभाग/नगर निगम जिम्मेदार नही होगा ।

13 अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुई किसी भी क्षति/दुर्घटना/कानूनी कार्यवाही/अनुकंपा का खर्चा ठेकेदार द्वारा स्वंय वहन किया जाएगा और विभाग/नगर निगम ऐसी किसी भी घटना के लिये जिम्मेदार नही होगा।

14 अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन एवं कार्यो का निष्पादन संतोषप्रद न होने की स्थिति में सफल निविदाकार को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आयुक्त,नगर पालिका निगम ग्वालियर द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

15 कार्य के निष्पादन के दौरान बारिश,तूफान,भूकम्प और अन्य आपदा से हुई किसी भी क्षति के लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नही होगा।

16 सफल निविदाकार को संचालन एंव संधारण कार्य में शिथिलता बरतने अथवा कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर 0.5 रुपये प्रति वर्ग मी. प्रति दिवस की दर से पेनल्टी देयक से काटी जावेगी।

17 किसी भी न्यायालयीन विवाद हेतु न्याय क्षेत्र जिला ग्वालियर रहेगा।

18 पक्षकारो द्वारा सहमति पूर्वक यह निर्धारित होगा। कि किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त,नगर निगम,ग्वालियर सक्षम होंगे। तथा आयुक्त का निर्णय अंतिम मान्य होगा। विवाद निराकरण स्थल/स्थान ग्वालियर रहेगा।

19 03 वर्षीय संधारण एंव रखरखाव अवधि के दौरान यदि कोई पौधा मृत/रोगग्रस्त/क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सफल निविदाकार को समान प्रजाति एवं हाईट(मृत/रोगग्रस्त/क्षतिग्रस्त के समय जो पौधे की हाईट हो) का पौधा रोपण करना होगा। जिसका नगर निगम द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

20 सफल निविदाकार द्वारा प्रत्येक माह प्रस्तुत किये जाने वाले चल देयक में से लेखा नियमानुसार परफोरमेंस गारंटी के रुप में राशि की कटोत्री की जावेगी। जिसका भुगतान कार्य समाप्ति के 03 माह उपरांत कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जावेगा।

21 03 वर्षीय संधारण व रखरखाव अवधि के दौरान कार्यस्थल से यदि कोई पौधा,सामान ,ट्रीगार्ड/सुरक्षा संसाधन इत्यादि चोरी होता है या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसकी मरम्मत/पूर्ति 02 दिवस में पूर्ण की जावे एंव सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।

22 सफल निविदाकार को गांधी रोड़ स्थित राजा मानसिंह चौराहा से बलवंत नगर तिराहा तक दोनो ओर रोड किनारो पर रोपित पेड़ पौधो एंव घास का 03 वर्ष(36 माह) तक नियमित रुप से सिंचाई व्यवस्था स्वंय के व्यय से करना होगी।

23 सफल निविदाकार को आवश्यकता के अनुरुप माली, श्रमिक, चौकीदार, सुपरवाईजर जो उद्यानिकी कार्य में निपुण हो,आवश्यकता अनुसार कार्यस्थल में तैनात करने होंगे।

24 कार्य के दौरान कार्यस्थल पर पूर्व से लगे पेड़ पौधो को यदि नुकसान पहुचाया जाता है तो म.प्र. वृक्ष परीरक्षण अधिनियम 2001 की धाराओ के अन्तर्गत सम्बंधित निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

25 किसी भी स्थिति में कार्य की सब कान्ट्रेक्टिंग,ज्वाईंट वेंचर स्वीकृति योग्य नही है।

26 न्यूनतम निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम,ग्वालियर का होगा। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नही होगी।

ELIGIBILTY FOR BIDDERS:-

(a) At the time of submission of the Bid the bidder should have valid registration with the Government Madhya Pradesh, PWD in the appropriate class. However, such bidder who are not registered with the Government of Madhya Pradesh and are eligible for registration can also submit their bids after having applied for registration with appropriate authority.

(b) The bidder would be required to have valid registration at the time of signing of the Contract.

(c) Failure to sign the contract by the selected bidder, for whatsoever reason, shall result in forfeiture of the earnest money deposit.

(d) Tenderer will have to submit Scanned copy of EPF Registration.

(e) The Bid Document can be purchased only online from as per Critical Dates on http://www.mptenders.gov.in.

Ajay Shakyawar
ASSISTANT ENGINEER
GWALIOR MUNICIPAL CORPORATION

Signature Not Verified
Digitally signed by AJAY KUMAR SHAKYAWAR
Date: 2026.05.14 00:21:06 PDT
Location: Madhya Pradesh-MP